''भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग''

पूजा सिंह
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

सार–

भारतीय लोकतंत्र की विचारधारा को आगे बढ़ाने तथा भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महती भूमिका निभायी है। मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य शक्ति, भूमिका इत्यादि में भी भारतीय लोकतंत्र की छाप है। मानवाधिकार आयोग ने भारतीय लोकतंत्र पर काले तिल के समान टाडा जैसे कानूनों को हटाया है।

भूमिका

मानवाधिकार के हनन से पीड़ित व्यक्ति को उचित और तुरन्त न्याय के लिए तथा संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन के लिए भारत सरकार ने मनावाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कानून बनाया। इस कानून के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया तथा इस आयोग को मानवाधिकार के हनन के मुद्दों के निवारण के लिए सशक्त किया।[1]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आठ सदस्य हैं जिसमें एक सभापति (भारत के मुख्य न्यायाधीश) सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति हो या रह चुका हो, मानवाधिकार क्षेत्र का अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्तियों में से दो सदस्य और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष/सभापित और अन्य सदस्यों की नियुक्ति (अंतिम तीन को छोड़कर) आपसी परामर्श से की जाती है जिसमें संसद के दोनों के विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाता है। एक और विशेषता यह है कि एन0एच0आर0सी0 के अध्यक्ष (सभापति) और पहले चार किस्म के सदस्यो की नियुक्त पाँच वर्षों के लिए की जाती है तथा यह दूसरी पदावधि के पात्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष तक आयोग की सेवा कर सकता है। परन्तु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। आयोग का एक महासचिव भी होगा। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य उसके पद से उच्चतम न्यायालय

द्वारा की गई जांच के बाद रिपोर्ट देने पर राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है।[2]

- दिवालिया घोषित किया गया हो
- अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन हो।
- शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो।
- किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो जो राष्ट्रपति के अनुसार नैतिक वाला हो।

इस आयोग के कार्य अधिनियम में निहित है जो निम्न है–

- आयोग स्वप्रेरणा से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका पर (a) मानवाधिकार के उल्लंघन या उसके लिए प्रेरित करने के लिए अथवा (b) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन के निवारण में की गई उपेक्षा के परिवाद की जांच करेगा।[3]
- आयोग न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी ऐसे कार्यवाही पर न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अंतर्निहित हो।
- आयोग राज्य सरकार को सूचना देकर राज्य सरकार के नियंत्रण में रहने वाले किसी कारागार अथवा किसी अन्य संस्था का जहाँ व्यक्तियों का उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता हो, अन्तर्वासियों के रहन–सहन की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए तथा उस पर सिफारिश करने के लिए निरीक्षण करेगा।
- आयोग मानवाधिकार के संरक्षण के लिए संविधान या तत्सम लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रावधानित संरक्षणों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा।
- आयोग आतंकवाद की कार्यवाहियों सहित उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो किसी के मानवाधिकार एवं उस समय लागू संरक्षणों के प्रयोग को प्रतिषिद्धि करते हैं तथा उपयुक्त सिफारिश भी करेगा।
- आयोग मानवाधिकार से संबंधित संधियों एवं अंतराष्ट्रीय विधियों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करेगा।

- आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करगा तथा शोध कार्य को बढ़ावा देगा।
- आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा उन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध जानकारी एवं संरक्षण की अभिवृद्धि प्रकाशन, समाचार माध्यम, सेमिनारों एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से करेगा।
- आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिये तथा मानव अधिकारों के प्रोत्साहन तथा संरक्षण के लिए आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा।[4]

- आयोग मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करते समय सिविल प्रोसिजर कोड 1908 के आधार पर सम्मन भेजने, अनुपस्थिति की बाध्यता, शपथ का निरीक्षण, किसी दस्तावेज की खोज और निर्माण, साक्ष्यों के लिए प्रमाण एकत्रित करना, किसी अन्य अभिलेख की मांग करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की किसी न्यायालय के कार्यालय में जांच–पड़ताल या अन्य किसी मामले के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना जो भी निर्धारित हो सकता हो, नागरिक न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- यदि आयोग इस निर्णय पर पहुँचता है कि इसके सुझाव के लिए कोई जानकारी किसी मामले के किसी पहलू के लिए उपयोगी या सार्थक हो सकती है तो आयोग किसी व्यक्ति को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दे सकता है और वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 और 177 के अन्तर्गत निर्देशित जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
- आयोग या आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसका पद राजपत्रित सरकारी अधिकारी से कम न हो) किसी संस्थान या इमारत में प्रवेश कर सकता है। यदि आयोग यह जानता हो कि अन्वेषण के मामले से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त हो सकता हो या वहा ंसे जब्त किया जा सकता हो। इस प्रकार के दस्तावेज की कॉपियां कोड ऑफ क्रिमिनल कोड 1973 की प्रक्रिया के अनुसार ली जा सकती है जिस क्षेत्र तक यह लागू किया जा सकता हो।
- शिकायतों का अन्वेषण करते समय अपराध साबित करने वलो सबूतों और वक्तव्यों को रिकार्ड करने की शक्ति आयोग को भी प्राप्त है और इसका विवरण आई0पी0सी0 की धारा 175, 178, 179, 180 तथा 228 में दिया गया है। अपराध के साक्ष्यों को रिकार्ड करने के

उपरान्त कोड ऑफ क्रिमिनल कोड 1973 के अनुसार आयोग को केस के सुनवाई के लिए न्यायाधीश को हस्तांतरित करना पड़ता है।

- मानवाधिकारों के हनन का अन्वेषण करतें समय आयोग अलग–अलग कार्यवाहियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे तुरन्त सुनवाई की आवश्यकता वाले मामले में आयोग केन्द्रीय या राज्य सरकार से निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत रिपोर्ट मांगना। आयोग संबंधित सरकार या सत्ता की रिपोर्ट के बिना भी अन्वेषण शुरू कर सकता है।
- सशस्त्र सेनाओं की शिकायतों का समाधान करते समय आयोग कानून के प्रावधान के अनुसार विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकता है जैसे (1) यह स्वयं के अनुसार स्वनिर्णय से या याचिका प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए कह सकता है। (2) सरकार तीन महीने के अन्दर सुझावों के दिन से ही आयोग सूचना के लिए उठाए गए कदमों को बताने के लिए बाध्य है। (3) आयोग याचिकाकर्ता की रिपोर्ट की कॉपी और सुझाओं को प्रकाशित करता है।
- आयोग शिकायत का अन्वेषण करते समय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। आयोग किसी अधिकारी या अन्वेषण की एजेंसी का सहारा ले सकता है। इस प्रकार की एजेंसी या अधिकारी आयोग के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। इस प्रकार के अधिकारी या एजेंसी के अन्वेषण के असहमत होने की स्थिति में आयोग स्वयं अन्वेषण कर सकता है।
- यदि आयोग को अन्वेषण के किसी चरण में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरीक्षण करना जरूरी है तो वह ऐसा कर सकता है। परन्तु आयोग इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता जिससे व्यक्ति पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त शक्तियों के होने के कारण आज 21वीं सदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बढ़ी है। एन0एच0आर0सी0 का मुख्य कार्य मानव अधिकारों के हनन की एक अन्वेषण करने वाले अभिकरण के रूप में अतिक्रमण की जांच करना है। इसने हिरासत में मौत, मुठभेड़ की हत्याएं, पुलिस का गुण्डाराज, बलात्कार तथा देश में भूख से होने वाली मौते, जैसे मुद्दों को अन्वेषण करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आयोग को लगभग 10 सालों में 3,00,000 से अधिक याचिकाएं प्राप्त हुई[5] जो एक अन्वेषण करने वाले अभिकरण के रूप में इसकी सर्वोच्च भूमिका को स्वयं स्पष्ट करती है। मानवाधिकारों के अन्वेषण और रिपोर्टों की जाँच करने के अतिरिक्त आयोग

ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाकर भत्ते को सुनिश्चित करके, सत्ता की इसकी सुझावों को लागू करने की आज्ञा देकर और कई मामलों के समाधान के लिए उन पर नियंत्रण रखकर प्रगति हासिल करके, आयोग ने उदाहरणों का निर्माण किया है। संक्षेप में, विभिन्न संस्थाओं को कम से कम मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के लिए उनके संवैधानिक दायित्वों को याद दिलाकर नियंत्रण रखने वाले अधीनस्थ अभिकरणों ने प्रभावी योगदान दिया है।

आयोग ने अपने छोटे से कार्यकाल में सुधारों के अभिकरण के रूप में विशेष रूप से सामाजिक मामलों में प्रशंसनीय प्रगति की है। आयोग ने जेलों में कैदियों की अधिक संख्या का ही अन्वेषण नहीं किया, बल्कि इसके साथ–साथ कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें उनकी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ जेलों को अधिक मानवीय बनाने के सुझाव भी दिए है। इस संबंध में जेलों के सुधार में आयोग भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। तिहाड़ केस में आयोग ने सूक्ष्म अध्ययन करके अहाते के विस्तार के अतिरिक्त टेलरिंग, बढ़ईगीरी और जिल्दसाजी के वैकल्पिक कोर्सों के सुझाव भी दिये हैं तथा कैदियों को पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने का भी सुझाव दिया।[6] मानवाधिकार आयोग ने पुलिस लॉक–अप तथा अधीनस्थ जेलों जैसे उपेक्षित विषयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आयोग ने केवल सतर्क ही नहीं किया है, बल्कि–राज्य सरकारों को इन दायित्वों को पूरा करने के लिए नोटिस तथा सम्मन भी जारी किए हैं। आयोग ने आपराधिक व्यक्ति को अधिक मानवीय बनाने तथा सुधार के लिए दृढ़ प्रयास किए थे।[7]

मानवाधिकारों के प्रति राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मानवाधिकारों के विषय पर चिंता बढ़ा रही है। इस दिशा में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभई है।[8] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आतंकवादी विध्वसंक गतिविधि अधिनियम (निरोधक) के क्षेत्र में आयोग ने इस दमनकारी कानून के प्रतिस्थापन के लिए कई सुझाव दिये। टाडा के कानून का सूक्ष्म निरीक्षण कर आयोग इसके दमनकारी और गलत प्रयोग को उजागर किया। आयोग ने निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप 2003 में इस कानून का उन्मूलन किया गया।[9] इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों की व्याख्या करके बालश्रम तथा वैश्यावृत्ति से संबंधित मुद्दों मे आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[10]

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई है और निभा रही है। भारत के भविष्य में

इस आयोग की भूमिका व प्रासंगिकता भारतीय लोकतंत्र को एक आधारशिला के रूप में लेकर खड़ी होगी। यह आयोग भारतीय लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करेगी, क्योंकि यह आयोग मानव गरिमा को बढ़ाकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, डॉ0 एच0ओ0: मानव अधिकार सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद, 2005, पृ0 3

   विस्वाल, तपन : मानवाधिकार जेण्डर एवं पर्यावरण : वीवा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. लक्ष्मीकान्त, एम0: भारत की राजव्यवस्था, मैक्ग्राहिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2014, पृ0 50.1–50.2
3. अधिनियम का अनुच्छेद 12
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम 1993 का विनियम 8
5. hhrc.nic.in
6. त्रिपाठी, टी0पी0: मानव अधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स इलाहाहाबाद, 2013 पृ0 290 से 295
7. वही, पृ0 295–297
8. https://www. lawctapus.com/ academike/rule-national-human - right commission- administration- criminal justice.
9. nhrc.ninc.in/NHRC- Antiterrorism .htm.
10. मौर्य, डा0 गीता: मानव अधिकार, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 2011 पृ0 70–73